न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.

प्रथम राजस्व अपील संख्या — 51/2016

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
खंगारसिंह पुत्र जीवसिंहजी,जाति राजपूत,निवासी मुडी,तहसील व जिला जालोर		1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालोर 2.नाथूसिंह पुत्र जीवसिंहजी,जाति राजपूत,निवासी मुडी,तहसील व जिला जालोर

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार जालोर दिनांक 28.6.2016(प्रकरण सं. 622/2016)

उपस्थिति :–
1.श्री सिकन्दरअली,अभिभाषक,अपीलांट की ओर से।
2.श्री छोटूसिंह,सरकारी अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.1 की ओर से।
3.रेस्पोडेन्ट सं.2 अनुपस्थित।

निर्णय — दिनांक 22.11.2017

अपीलांट के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट के पिता जीवसिंहजी जाति राजपूत, निवासी मुडी की पट्टासुद पुश्तैनी भूमि गांव मुडी में पुराने खसरा नम्बर 146 की आबादी भूमि में 60 गुणा 75फीट की आई हुई है, इस भूमि का पट्टा लगभग 30 वर्षो पुराना दिनांक 6.12.1986 का बना हुआ है तथा इस प्लोट में अपीलांट के पिता ने मकान लगभग 30 वर्ष पहले बनाया था जिसमें अपीलांट पुश्तैनी रूप से अपने भाई रेस्पोडेन्ट सं.2 के साथ निवास करता आ रहा है। वर्तमान में पटवार हल्का ने बिना नाप किये अपीलांट के पुश्तैनी पट्टासुद भूमि में बने पक्के मकान को वर्तमान खसरा नम्बर 300 में बताकर गलत रूप से 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रकरण बनाया है। अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष जवाब पेश किया था लेकिन अदालत मातहत ने इस सबंध में न तो कोई गवाह सबूत लिया तथा न ही मौके का नाप जवाब अनुसार करवाया और जैर अपील निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में यह स्पष्ट नही है कि वर्तमान खसरा नम्बर 300 में पक्का मकान का कौनसा भाग है। दिनांक 31.8.2016 को पटवारी हल्का ने अपीलांट को कहा कि प्रकरण का फैसला हो गया है तथा 2–3 दिन में अपीलांट का रहवासीय मकान पटक देंगे, तब जालोर आकर दिनांक 1.9.2016 को नकल मांगी जो

मिलने पर अपील अन्दर म्याद पेश की है फिर भी देरी मानी जावे तो देरी को कण्डोन कराते हुए अपील अन्दर म्याद शुमार करावे। अपीलांट की अपील मंजूर कर अदालत मातहत का आदेश निरस्त करावे। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थनापत्र, शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ आदेश दिनांक 28.6.2016 आदि की नकले पेश की, इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अपीलांट के धार 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थनापत्र का रेस्पोडेन्ट्स की ओर से कोई जवाब पेश नही किया गया है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के अभिभाषक ने अपने अपील प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि अपीलांट के पिता जीवसिंह के ग्राम मुडी में पुराने खसरा नम्बर 146 की आबादी भूमि 60 गुणा 75 फीट की आई हुई है जिसका पट्टा लगभग 30 वर्षो पुराना यानि दिनांक 6.12.1986 का बना हुआ है। अपीलांट पुश्तैनी रूप से अपने भाई रेस्पोडेन्ट सं.2–नाथूसिंह के साथ रह रहा है, अपीलांट के पुश्तैनी भूमि में बने मकान को वर्तमान खसरा नम्बर 300 में बताकर धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956का प्रकरण बनाया है और जैर अपील बेदखली का निर्णय पारित किया है। अदालत मातहत में जवाब पेश किया था लेकिन पट्टे व जवाब को रैकार्ड पर नही लिया है,अदालत मातहत ने गवाह,सबूत नही लिये तथा न ही मौके पर नाप करवाया।अतः अपीलांट की अपील स्वीकार अदालत मातहत का निणय निरस्त करावे। इसके विपरीत सरकारी अभिभाषक ने बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा मौजा मुडी के खसरा नम्बर 300 कुल रकबा 0.65हेक्टर में से 0.15 हेक्टर भूमि, किस्म बारानी सोयम पर अपीलांट खंगारसिंह व उसके भाई रेस्पोडेन्ट सं. 2–नाथूसिंह ने संवत् 2073 में अतिक्रमण कर बाडा व पक्का मकान किया है,जिस पर बाद सुनवाई के अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली व जुर्माना का आदेश पारित किया है, उक्त भूमि सरकारी भूमि होने से निर्णय सही पारित किया गया है। गैरसायल खंगारसिंह अधिनस्थ न्यायालय में निर्णय के दिवस दिनांक 28.6.16 को उपस्थित था लेकिन अपील दिनांक 2.9.16 को पेश की गई है जो भी म्याद बाहर पेश की गई है। अतः अपीलांट की अपील खारिज करावे।

4. बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा मौजा मौजा मुडी के खसरा नम्बर 300 कुल रकबा 0.65हेक्टर में से 0.15 हेक्टर भूमि, किस्म बारानी सोयम पर अतिक्रमण कर बाडा व पक्का मकान करने से पटवारी हल्का नरसाना की रिपोर्ट जिसको भू अभिलेख निरीक्षक बिशनगढ द्वारा जांच की गई है, पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार जालोर ने प्रकरण दर्ज कर,अपीलांट्स को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली व जुर्माना का आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली सं. 622/2016 के अवलोकन से गैरसायल– खंगारसिंह व नाथूसिंह द्वारा अदालत मातहत में दिनांक 16.6.2017 को जवाब पेश किया गया है जिसके साथ पुराने खसरा नम्बर 146(हाल खसरा नम्बर 300) में अपने पिता जीवसिंह के नाम जारी पट्टे की फोटो प्रति भी पेश की गई है जो प्रमाणित नही है। पटवारी हल्का नरसाना की धारा 91 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 की रिपोर्ट जो भू अभिलेख निरीक्षर नरसाणा द्वारा बाद जांच के अधिनस्थ न्यायालय में पेश की है,के अनुसार खसरा नम्बर 300 की किस्म बारानी सोयम है जो राजकीय भूमि है, जिस पर सरपंच, ग्राम पंचायत बिशनगढ को पट्टा देने का अधिकार नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

आदेश

अपीलांट द्वार तहसीलदार जालोर का आदेश दिनांक 28.6.2016 (प्रकरण सं. 622/2016) के विरूद्ध प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 22.11.2017 को खुले न्यायालय में पढकर सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर